झुंझुनूं में पोस्टमार्टम के बाद युवक के जिंदा होने का मामला : युवक की जयपुर ले जाते मौत

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने आदर्श नगर में मां सेवा संस्थान द्वारा संचालित एमआर होम का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की

झुंझुनूं, (निसं)। जिले के सबसे बड़े अस्पताल राजकीय जिला बीडीके हॉस्पिटल में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आई है। जहां पर एक जिंदा युवक को मृत बताकर ना केवल उसका कागजी पोस्टमार्टम कर दिया गया, बल्कि दो घंटे तक डीप फ्रीजर में रखकर उसका अंतिम संस्कार करने तक की तैयारी कर ली। लेकिन मुक्ति धाम में जब चिता पर लैटाने के बाद युवक के शरीर में हलचल हुई तो हड़कंप मच गया। आनन-फानन में उसे पहले झुंझुनूं के आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां पर हालत खराब होने पर देर रात को जयपुर एसएमएस के लिए रैफर किया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया।

डॉक्टरों की लापरवाही पर सरकार ने भी गंभीरता दिखाते हुए राजकीय बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉ. संदीप पचार के अलावा इस युवक की जांच कर इसे मृत घोषित करने वाले चिकित्सक डॉ. योगेश जाखड़ तथा कागजी पोस्टमार्टम कर उसे डीप फ्रीजर में रखवाने वाले डॉ. नवनीत मील को सस्पैंड कर बॉर्डर इलाकों जैसलमेर, बाड़मेर और जालौर लगा दिया।

शुक्रवार को इस मामले में दिनभर जांच का दौर चलता रहा। सुबह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक डॉ. पवन पूनियां ने आदर्श नगर में मां सेवा संस्थान द्वारा संचालित एमआर होम का निरीक्षण किया और रिपोर्ट तैयार की। इस मामले में मां सेवा संस्थान की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे है, जिसकी जांच करवाने के लिए भी जिला कलेक्टर रामावतार मीणा द्वारा कहा गया है। जिला कलेक्टर मीणा ने बताया कि इस मामले में जांच कमेटी गठित कर दी है। साथ ही मां सेवा संस्थान की जांच करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक को निर्देश दिए हैं। उप निदेशक समाज कल्याण को भी संस्थान में जाकर जांच के आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर ने बताया कि चिकित्सकों ने तो लापरवाही करी ही है। लेकिन इस मामले में मां सेवा संस्थान की भूमिका संदिग्ध लग रही है। मानसिक विमंदित व्यक्ति की तबियत बिगड़ने, उसका कागजी पोस्टमार्टम कराने तथा दाह संस्कार करने की तैयारी तक में मां सेवा संस्थान के कर्मचारियों और पदाधिकारियों ने जो जल्दबाजी की है, वो संदेह के घेरे में आती है, इसलिए सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

- झुंझुनूं शहर के जोधपुरिया परिवार ने इस युवक की पहचान अपने बलबीर जोधपुरिया के रूप में की है, जिसकी शिनाख्त करवाने के लिए कोतवाली पुलिस और परिजन रवाना

वहीं मां सेवा संस्थान के सचिव बनवारीलाल सैनी ने कहा है कि रोहिताश को 28 सितंबर को बगड़ पुलिस ने यहां छोड़ा था, जो लावारिस था, हमने हमारी जिम्मेदारी पूरी की है, कर्तव्य निवर्हन किया है।

इधर देर शाम को इस मामले में पुलिस व सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का फेलियोर भी सामने आया। जानकारी के अनुसार झुंझुनूं की पुलिस लाइन के सामने रहने वाले जोधपुरिया परिवार के सदस्यों ने इस युवक को लेकर अपना दावा किया है। हालांकि युवक की मौत हो चुकी है, जिसका शव जयपुर के एसएमएस अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। झुंझुनूं शहर के जोधपुरिया परिवार ने इस युवक की पहचान अपने बलबीर जोधपुरिया के रूप में की है, जिसकी शिनाख्त करवाने के लिए कोतवाली पुलिस और परिजन रवाना हो गए है। यदि शिनाख्त में यह बलबीर ही निकलता है तो पुलिस और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की लापरवाही भी सामने आएगी, क्योंकि बलबीर के परिजनों का दावा है कि उन्होंने बलबीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट करीब एक साल पहले ही कोतवाली में दे दी थी। बावजूद इसके बगड़ पुलिस को लावारिस हालत में जब बलबीर उर्फ रोहिताश मिला तो उसके परिजनों की तलाश नहीं की गई। वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने भी एक लावारिस व्यक्ति का पारिवारिक पुनर्वास करवाने की जहमत नहीं उठाई। गौरतलब है कि कल के अन्य अखबारों में युवक का नाम रोहिताश्व छपा था, जो गलत है।

इधर, इस मामले में परिजनों ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा से मुलाकात की। गुढ़ा ने कहा है कि इस मामले में दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नाम मात्र की तीन चिकित्सकों पर कार्रवाई की गई है, जबकि पूरा का पूरा बीडीके अस्पताल बर्खास्त होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस एमआर होम में बलबीर उर्फ रोहिताश रहता था। उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर उसे शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी गई है। सीसीटीवी फुटेज जब्त होने चाहिए। अब तक जो भी लावारिस वहां पर रह रहे हैं या फिर जो मृत हुए हैं, उन्हें लेकर भी न्यायिक जांच होनी चाहिए। गुढ़ा ने कहा कि चिकित्सा मंत्री को भी एक मिनट तक इस पद पर रहने का अधिकार नहीं है।

उपभोक्ता मामलात के प्रमुख शासन सचिव वीसी के जरिये सुनवाई में पेश हुए

- खंडपीठ के समक्ष खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार वीसी के जरिए पेश हुए

जोधपुर, (कासं)। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश मनींद्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायाधीश मुन्नूरी लक्ष्मण के समक्ष खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलात के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।

उन्होंने न्यायालय को बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग और राज्य उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के 87 रिक्त पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और लिखित परीक्षा 11 जनवरी को आयोजित कर 28 फरवरी तक नियुक्तियां जारी कर दी जाएगी। खंडपीठ ने इस पर आगामी पेशी 3 मार्च तय की। राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन की ओर से दायर जनहित याचिका पर बहस करते हुए अधिवक्ता अनिल भंडारी ने कहा कि पिछले एक दो साल से राज्य उपभोक्ता आयोग में तीन न्यायिक सदस्य, 4 गैर न्यायिक सदस्य और जिला उपभोक्ता आयोग में जोधपुर में दो अध्यक्ष सहित 21 अध्यक्ष और जोधपुर में चार सदस्य सहित 59 सदस्यों के रिक्त पदों को भरने के वास्ते राज्य सरकार बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रही है और आठ नवंबर को खंडपीठ द्वारा प्रमुख शासन सचिव को न्यायालय में हाजिर होने के आदेश के दूसरे दिन ही उन्होंने 87 पदों की रिक्तियां घोषित कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर लिए। लेकिन परीक्षा तिथि और भर्ती की कोई समय सारिणी नहीं बताई गई।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया पर पूर्णतया बैरुखी अपनाने की वजह से राज्य के अधिकांश उपभोक्ता आयोग में न्यायिक कार्रवाई पूरी तरह बाधित हो रही है। उपभोक्ता मामलात विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार खंडपीठ के इस सवाल पर निरुत्तर ही रहे कि खंडपीठ के एक साल से लगातार आदेश के बावजूद उन्होंने रिक्तियां घोषित क्यों नहीं की। उन्होंने न्यायालय को विश्वास दिलाया कि 11 जनवरी को लिखित परीक्षा आयोजित कर 28 फरवरी तक नियुक्तियां जारी कर दी जाएंगी। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पंवार तथा हाइकोर्ट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. सचिन आचार्य ने पैरवी की।

मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बहस के दौरान कहा कि यह अफसोसजनक स्थिति है कि एक साल से आदेशों के बावजूद सरकार ने रिक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की और जैसे ही प्रमुख शासन सचिव को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का आदेश जारी किया और दूसरे ही दिन एकाएक रिक्तियां घोषित कर दी गई। उन्होंने कहा कि जबकि देश के कई राज्य उपभोक्ता आयोग में भर्तियां समयानुसार पूर्ण कर चुके हैं। उन्होंने अतिरिक्त महाधिवक्ता और प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार के इस आश्वासन पर कि उपभोक्ता आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां आगामी 28 फरवरी तक पूर्ण हो जाएगी, आगामी पेशी 3 मार्च तय की।

इंस्टाग्राम हैक कर वीडियो अपलोड किया

- 16 साल की लड़की को ब्लैकमेल कर रुपयों की डिमांड की
- युवती के पिता ने थाने पहुंच कर हैकर के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई

बीकानेर, (निसं)। सोशल मीडिया पर वायरल होने की कोशिश कई बार परेशानी में फंसा देती है। ऐसा ही एक मामला बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ में देखने को मिला है, जहां एक नाबालिग युवती के एकाउंट को युवक ने हैक कर लिया। सेरूणा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग युवती का इंस्टाग्राम अकाउंट 15 नवंबर को किसी हैकर ने हैक कर लिया। युवती के इंस्टाग्राम के फोटो-वीडियो डाउनलोड कर एडिटिंग कर वायरल करने की धमकी दी। 16 साल की लड़की से नगदी की डिमांड की। परेशान युवती के पिता ने थाने पहुंच कर पुलिस से हैकर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की गुहार लगाई है।

मामले की जांच कर रहे थानाधिकारी इंद्र कुमार ने बताया कि साइबर सेल एक्टिव हो गया है और अज्ञात हैकर की जानकारी ली जा रही है। नए कानूनों में साइबर क्राइम के मामलों में सख्त सजा के प्रावधान निर्धारित किए गए है जिसमें सजा का दायरा भी बढ़ गया है। नाबालिग छात्रा के एकाउंट को हैक कर उस पर वीडियो भी अपलोड कर दिया। जांच अधिकारी इंद्र कुमार ने बताया कि ये वीडियो आपत्तिजनक है। ऐसे में उसे परिजनों ने सूचना दी कि ये गलत वीडियो अपलोड हुआ। देखने पर पता चला कि लड़की ने ऐसा नहीं किया था। किसी अज्ञात ने इंस्टाग्राम हैक करके ये वीडियो अपलोड कर दिया। पुलिस ये पता लगा रही है कि लड़की के यूजर आईडी और पासवर्ड चोरी करके ये काम किया गया या फिर हैक किया गया।

बस की टक्कर से एक की मौत

सादुलपुर, (निसं)। सिद्धमुख थाने के गांव धानोठी छोटी निवासी एक व्यक्ति की चैनपुरा छोटा के पास बस की टक्कर लगने से मौत हो गई।

सिद्धमुख थानाधिकारी रामकरण सिद्धू ने बताया कि नरेश कुमार पुत्र जयसिंह जाट निवासी धानोठी छोटी पुलिस थाना सिद्धमुख जिला चूरु ने शुक्रवार को सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज करवाया है कि 21 नवम्बर को सांय नरेश कुमार एवं उसका रिश्ते में भाई प्रदीप कुमार दोनों सड़क किनारे चैनपुरा छोटा से लगभग 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे। उसी दौरान राजगढ़ से भादरा की ओर आ रहे वाहन को साइड देने के लिये मूल रोड से लगभग नीचे उतार कर उसके साथ खड़े उसके भाई को टक्कर मारकर पैरों के ऊपर से बस को निकाल दिया और बस ड्राइवर पेपसिंह बस को भगाकर ले गया। बस को रुकाने की कोशिश भी की गयी, फिर भी बस के ड्राइवर ने दुबारा भागने की कोशिश तथा बस को भागने में सफल भी हो गया।

रजिस्ट्री की प्रतिलिपि के बदले ली थी रिश्वत, एसीबी ने दोषी माना

बीकानेर, (निसं)। एसीबी ने पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक को जमीन की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि देने के बदले 1000 रुपए की रिश्वत लेने का दोषी माना है। उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया। लूणकरणसर में बामनवाली निवासी परिवादी वासुदेव शर्मा ने 24 जुलाई, 23 को एसीबी में रिपोर्ट दी थी कि उसके पिता पूर्णाराम के नाम सोढ़ावाली हलके किस्तुरिया गांव में रही भूमि की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि लेनी थी। इसके लिए वह पंजीयन एवं मुद्रांक कार्यालय के अभिलेख कक्ष प्रभारी आशीष तंबोली से मिला। उसने एक प्रतिलिपि के 500 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए की रिश्वत मांगी। एसीबी ने इसका सत्यापन करवाया तो सौदा 1000 रुपए में तय हो गया। 28 जुलाई को ट्रैप किया गया। परिवादी अभिलेख कक्ष में गया, जहां आरोपी आशीष ने 1000 रुपए अपनी टेबल पर रखवा लिए। एसीबी की टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद मामले की विस्तृत जांच में आरोपी को दोषी माना और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण न्यायालय की कोर्ट में चालान पेश कर दिया। एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई पिछले साल की थी। एक साल से इस मामले में जांच चल रही थी।

45 किलो डोडा-चूरा के साथ भटिंडा के तीन तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने डोडा-चूरा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया।

भीलवाड़ा, (निसं)। शहर के सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अजमेर चौराहे पर चित्तौड़ की ओर से पंजाब की ओर तस्करी कर ले जाया जा रहा 45 किलो डोडा-चूरा के साथ भटिंडा के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है।

सुभाष नगर थाना प्रभारी शिवराज गुर्जर ने बताया कि डीएसटी टीम के एएसआई अय्यूब मोहम्मद ने सूचना दी कि अजमेर चौराहे पर तीन संदिग्ध व्यक्ति खड़े हैं जो डोडा-चूरा तस्कर हो सकते हैं। इस सूचना के आधार पर सुभाष नगर थाना अधिकारी टीम के साथ मौके पर पहुंचे जहां पर बस के इंतजार में खड़े तीन व्यक्ति रिछपाल सिंह, लभजीत सिंह और निक्का सिंह मिले, जिनसे पूछताछ की तो तीनों ने खुद को भटिंडा का रहने वाला बताया। उनके पास चार बैग थे, जिसमें क्या है इसके बारे में जब जानकारी चाही तो वह संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाए। जिस पर पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो उसमें डोडा-चूरा भरा हुआ मिला। पुलिस ने डीएसटी टीम के एएसआई अय्यूब मोहम्मद की मौजूदगी में मौके पर ही डोडा-चूरा का वजन करवाते हुए तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर अवैध डोडा चूरा जब्त किया। जब्त किया डोडा-चूरा 45 किलो है जिसकी अनुमानित कीमत करीब एक लाख रुपये बताई जा रही है।

शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

सांभर थाना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया।

सांभरझील, (निसं)। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर नौकरी लगाने व शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में सांभर थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी रोहित पुत्र भागमल जट निवासी भिंडूसी थाना तिजारा जिला खैरथल अलवर का रहने वाला है।

आनंद शर्मा जिला पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सांभरलेक पर युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के संबंध मे प्रकरण दर्ज होने व मामला महिला अत्याचार से संबंधित होने पर शीघ्र कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश पर अति. पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय), जिला जयपुर ग्रामीण रजनीश पूनिया व पुलिस उप अधीक्षक अनुपम मिश्रा के सुपरविजन मे राजेश कुमार वर्मा थानाधिकारी पुलिस थाना सांभरलेक के नेतृत्व में टीम का गठन किया। टीम ने आरोपी के संबंध में तकनीकी सहायता ली जाकर एवं आसूचना संकलन कर अभियुक्त रोहित को गिरफ्तार किया।

थाना अधिकारी राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि राजेश व पुलिंदा गठित टीम द्वारा सोशल मीडिया पर युवती को नौकरी लगाने एवं शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने एवं नौकरी लगाने का झांसा देकर करीबन 2 लाख रूपये हड़पने के अभियुक्त रोहित को अलवर से गिरफ्तार किया। आरोपी पहले सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अनजान युवतियों से दोस्ती कर उन्हें सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर जानकारी बढ़ाकर रूपये हड़पता है, फिर उन्हें शादी को झांसा देकर दुष्कर्म कर दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर रूपये हड़पता है। पुलिस ने अभियुक्त से मोबाइल व दो सिम बरामद बरामद की है। पुलिस की ओर से अनुसंधान हेतु जांच की जा रही है।

कार्यालय नगर विकास न्यास, पाली
जिला कलेक्ट्रेट परिसर, पाली
फोन नं. 02932-223222 ई मेल- uitpali@gmail.com
क्रमांक: न्या.पा./निविदा/2024/11945008 दिनांक 22.11.2024

ई-निविदा सूचना संख्या-20/2024-25

नगर विकास न्यास, पाली की और से न्यास/राजकीय विभाग में नियमानुसार उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्योरमेन्ट प्रक्रिया से सिविल कार्यों हेतु ऑन-लाइन निविदाएं आमंत्रित की जाती है, इन कार्यों की अनुमानित लागत, निविदा बेचे जाने तथा प्राप्त करने की दिनांक, निविदा शर्तें आदि सम्पूर्ण विवरण https://eproc.rajasthan.gov.in, sppp.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है तथा न्यास कार्यालय, पाली में कार्य दिवस के दौरान भी देखी जा सकती है।

कार्य	यू.बी.एन नम्बर (sppp.rajasthan.gov.in)
सिविल कार्य	ITP2425WSOB00037

राज.संवाद/सी/24/8158 अधिशाषी अभियन्ता

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खण्ड सवाई माधोपुर
राजकीय आयुर्वेद औषधालय के पास, सामान्य चिकित्सालय परिसर, सवाई माधोपुर
फोनः 07462-233169, email-eemhswm@gmail.com
क्रमाक : 1830 **ई-टेन्डिरिंग निविदा सूचना 20/2024-25** दिनांक : 18/11/24

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत राज्य के स. माधोपुर, बूंदी व गंगापुरसिटी में विभिन्न स्थानों पर रू. 927.00 लाख के 23 निर्माण कार्य/विद्युत कार्य हेतु राजस्थान सरकार के समकक्ष उपयुक्त श्रेणी में विद्युत कार्य/निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार / केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों / केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग / डाक एवं दूर संचार विभाग / रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेब साईट www.dipronline.Org, http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya.nic.in पर देखा जा सकता है।
MHS2425WSOB03924, MHS2425WSOB03925, MHS2425WSOB03926, MHS2425WSOB03927
MHS2425WSOB03928, MHS2425WSOB03929, MHS2425WSOB03930, MHS2425WSOB03931
MHS2425WSOB03932, MHS2425WSOB03934, MHS2425WSOB03935, MHS2425WSOB03936
MHS2425WSOB03938, MHS2425WSOB03939, MHS2425WSOB03940, MHS2425WSOB03941
MHS2425WSOB03942, MHS2425WSOB03943, MHS2425WSOB03944, MHS2425WSOB03945
MHS2425WSOB03947, MHS2425WSOB03948, MHS2425WSOB03949
DIPR/C/11526/2024 अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खण्ड सवाई माधोपुर

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर
जिला परिषद के पीछे, बाडी रोड, धौलपुर-328001 दूरभाष 05642-220763
Email-deo.dholpur.excise@rajasthan.gov.in
क्रमांकः-351 दिनांकः-12-11.2024

जब्त शुदा वाहनों की नीलामी सूचना

इच्छुक बोली दाताओं को सूचित किया जाताहै कि राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत राजसात किये गये जब्त शुदा वाहनों की सार्वजनिक नीलामी दिनांक 26.11.2024 को प्रातः 11 बजे से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर पता जिला परिषद के पीछे, बाड़ी रोड़, धौलपुर-328001 पर रखी गई है। नीलामी किये जाने वाले वाहनों को विस्तृत विवरण (यथा वाहनों प्रकार, मॉडल/मैक इत्यादि) SPPP वेबसाईट https://sppp.rajasthan.gov.in और विभागीय वेबसाईट https://excise.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
DIPR/C/11482/2024 (घनश्याम शर्मा) जिला आबकारी अधिकारी, धौलपुर

Government of Rajasthan
Office of the Member Secretary, Rajasthan Medicare Relief Society, Barmer
Mail id-pmo.barmer@gmail.com
Sr.no./Barmer/DH/Acct/2024/3013 Date: 18.1124

Notice Inviting Bid no.- 3012/18.11.2024

Bids for Rate Contract for Orthopedic Implants at government hospital barmer are invited from interested bidders up to 20/12/2024, 11.00 AM. Other Particulars of the bid may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in, http://eproc.rajasthan.gov.in) of the state. approximate value of the procurement is Rs. 240 lacs.
UBN. NO. - MHS2425GLRC03963
Member Secretary
Rajasthan Medicare Relief Society, Barmer
DIPR/C/11602/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, खण्ड फालना
E-mail:- eephedfalna@yahoo.com, Ph.: 02938-233684

-: ई-निविदा सूचना 101/2024-25:-

राजस्थान के सरकार के राज्यपाल की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं अन्य मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 09.12.2024 को मध्यान्ह पश्चात् 2.00 बजे तक ऑनलाईन बेची जाकर, उसी दिनांक को मध्यान्ह पश्चात् 2.00 बजे तक ऑनलाईन प्राप्त की जाकर उसी दिनांक को दोपहर 03.30 बजे तक उपस्थित ठेकेदारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष ऑनलाईन खोली जाने की कार्यवाही की जायेगी। धरोहर राशि फालना में देय किसी भी बैंक के Demand Draft/ ई-ग्रास चालान के रूप में स्वीकार्य होगी। उक्त निविदा की नियम व शर्ते http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
शर्त- 1. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निम्न हस्ताक्षरकर्ता के पास होगा। 2. निविदा बेचने एवं प्राप्ति के दिन यदि राजकीय अवकाश होगा तो निविदा दूसरे दिन बेची व प्राप्त की जायेगी।

NIT No.	UBN No.
101	PHE2425WSOB06222

(महेन्द्र सिंह राठौड) अधिशाषी अभियन्ता
जन. स्वा. अभि. विभाग, खण्ड फालना
DIPR/C/11551/2024

जयपुर विकास प्राधिकरण
इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
क्रमांक : जविप्रा/व.उ.वि./2024-25/डी-682 दिनांक : 22.11.2024

अल्पकालीन बिड आमंत्रण सूचना
बिड संख्या - व.उ.वि./2024-25/38

जयपुर विकास प्राधिकरण वरिष्ठ उद्यानविज्ञ में "Beautification and maintenance of Jawahar Circle outer ring and near by link roads for one year (Including watch and ward)" कार्य जिसकी लागत रू. 104.38 लाख के लिए दिनांक 25.11.2024 सायं 6.00 बजे तक ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण जो कि निविदा प्रपत्र में उपलब्ध है, अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अथवा राजस्थान सरकार के उपापन पोर्टल www.sppp.raj.nic.in व www.eproc.rajasthan.gov.in एवं जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
(UBN No. JDA2425WSOB00384)
निविदादाता को निविदा में भाग लेने हेतु आवश्यक है कि :-
1. जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jda.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो। निविदा शुल्क व आर.आई.एस.एल. प्रक्रिया शुल्क केवल ऑन लाईन ही देय होगी। बोली प्रतिभूति ऑनलाईन अथवा बैंक गारन्टी के द्वारा दी जा सकती है।
2. ऑन लाईन निविदा में भाग लेने हेतु राजस्थान सरकार के पोर्टल www.eproc.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो।
राज.संवाद/सी/24/8201 वरिष्ठ उद्यानविज्ञ

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर
क्रमांक-निदे/अ.ख.अ.नीलामी/निलामी (ML VIII)/2024/ई-09117

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय-III के तहत विभाग के अप्रधान खनिजों के खननपट्टों के आवंटन के लिए 269 प्लॉट ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म पर खुली बोली आमंत्रित की जाती है। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

क्र.सं.	जिला	तहसील	ग्राम	खनिज	कुल प्लॉट
1	दूदू	दूदू	साखून	ग्रेनाईट एवं मेसेनरी स्टोन	05
2	जयपुर (ग्रामीण)	बस्सी	गढ एवं दुबली ढिढोल	मेसेनरी स्टोन व मार्बल	03
3	नीमकाथाना	उदयपुरवाटी	पचलंगी	मेसेनरी स्टोन	02
4	उदयपुर	भीण्डर	माण्डकला	क्वार्टज/ फैल्सपार	03
5	ब्यावर	रायपुर	सुमेल	क्वार्टज/ फैल्सपार	50
6	नागौर	मुण्डवा	पालडीव्यासा	मेसेनरी स्टोन	50
7	नीमकाथाना	खेतड़ी	गोविन्ददासपुरा	मेसेनरी स्टोन	10
8	चित्तोड़गढ़	बड़ी सादड़ी	निकुम्भ	मेसेनरी स्टोन	20
9	करौली	करौली	मोहनपुर	मेसेनरी स्टोन	09
10	ब्यावर	जैतारण	गुडा हेमडाई	मार्बल	08
11	केकड़ी	भिनाय	रामालिया	ग्रेनाईट व मेसेनरी स्टोन	23
12	बारां	किशनगंज	गोरधनपुरा (परानिया)	मेसेनरी स्टोन	24
13	बाड़मेर	बायतु	करनीपुरा चक चारणौत (नौसर)	मेसेनरी स्टोन	29
14	पाली	रानी	जवाली	मेसेनरी स्टोन	14
15	सीकर	दातारामगढ़	रूपपुरा	मेसेनरी स्टोन	08
16	कोटपूतली-बहरोड	विराटनगर	मैड	मेसेनरी स्टोन	01
17	चित्तौडगढ	निम्बाहेड़ा, भदेसर	विनोता, भालोट	मेसेनरी स्टोन एवं मार्बल	10

विशेष नोटः-
1 प्लॉटों का विस्तृत विवरण, अमानत राशि, बोली प्रस्तुत करने की तिथि व समय इत्यादि का विवरण, ई-ऑक्शन की शर्तें विभागीय वेबसाइट www.mines.rajasthan.gov.in एवं इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म प्रदाताकंपनी MSTC Ltd की वेबसाइट www.mstcecommerce.com पर उपलब्ध है।
(भगवती प्रसाद) IAS
निदेशक
DIPR/C/11547/2024

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नगर खण्ड-द्वितीय, जयपुर
क्रमांकः- 2800 दिनांक-19.11.2024

ई- निविदा सूचना संख्याः 28/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से निम्नलिखित कार्योंः-

क्र. सं.	कार्य का नाम	संवेदक की श्रेणी	डिफेक्ट लाईब्लिटी	UBN No.
1	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at khanij Bhawan jaipur. (Civil work).	"D" Class (Civil work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09875
2	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at khanij Bhawanjaipur. (Sanitary work).	"S-3" Class (Sanitary work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09876
3	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at Trauma Hospital Building (SMS Hospital) jaipur. (Civil work).	"C" Class (Civil work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09877
4	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at Trauma Hospital Building (SMS Hospital) jaipur. (Sanitary work).	"S-1" Class (Sanitary work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09878
5	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at Dental Hospital jaipur. (Civil work).	"D" Class (Civil work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09879
6	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at Dental Hospital jaipur. (Sanitary work)	"S-4" Class (Sanitary work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09880
7	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at Gangori Hospital jaipur. (Civil work)	"C" Class (Civil work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09881
8	Making Accessible Building Features under Accessible India Campaigning at Gangori Hospital jaipur. (Sanitary work).	"S-2" Class (Sanitary work)	अनुबन्धानुसार	PWD2425 WSOB09882

हेतु सम्मुख अंकित दोष निवारण एवं उनके सुधार (डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरीयड) सहित सा.नि.वि. में उपयुक्त श्रेणी (नियमानुसार) में पंजीकृत संवेदक एवं संवेदक जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवम् दूर संचार, रेल्वे या अन्य राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों जो कि राजस्थान सरकार के ''एए'' अथवा ''ए'' श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित परिपत्र में ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा से सम्बन्धित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.dipronline.org, www.eproc.rajasthan.gov.in, http://www.pwd.rajasthan.gov.in एवं http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
(अशोक कुमार सिंघल)
अधिशाषी अभियन्ता,
सा.नि.वि. नगर खण्ड-2, जयपुर
DIPR/C/11588/2024